**राजस्थान सरकार**
**चिकित्सा एवं स्वास्थ्य(ग्रुप–2)विभाग**

क्रमाकः पं025(1)चिस्वा/2/2013/175 जयपुर,दिनांकः 03.10.13

निदेशक(जन स्वा),
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राज0जयपुर।

**विषयः–बजट घोषणा 2013–14 के बिन्दु संख्या 65.1.0 के अनुसरण में 100 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रो को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में क्रमोन्नत करने की स्वीकृति बाबत।**

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत मा0 मुख्यमंत्री महोदय के कार्यालय से प्राप्त निर्देशानुसार बजट घोषणा 2013–14 के बिन्दु संख्या 65.1.0 के अनुसरण में 100 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में क्रमोन्नत करने की स्वीकृति जारी की गई थी, के अतिरिक्त 25 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में क्रमोन्नत करने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो के अध्यधीन एतद् द्वारा प्रदान की जाती हैः–

1– वर्ष 2013–14 में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में क्रमोन्नत किये जाने एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने पर निर्धारित विभागीय मापदण्डों का परीक्षण कर पालना सुनिश्चित की जावे, तत्पश्चात ही अग्रिम कार्यवाही की जावे।

2– वर्ष 2013–14 में जिन स्थानों के लिये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में क्रमोन्त करने की स्वीकृति जारी की जाती है/की गई है, उनके लिये सक्षम स्तर से अनुमोदन सुनिश्चित किया जावे।

3– सभी स्वीकृतियों की संख्या की पुनः गणना कर यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि वह सही है और निर्धारित संख्या में ही है।

यह स्वीकृति वित्त(व्यय–1)विभाग की आई.डी.संख्या 101304435 दिनांक 27.09.2013 एवं आयोजना(वित्त) विभाग की आई.डी.संख्या 493/पी–5/2013 दिनांक 01.10.2013 से प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है। यह अतिरिक्त स्वीकृति मा0 मुख्यमंत्री महोदय से अनुमोदित है।

भवदीय,
03/10/13
**शासन उप सचिव**

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1–निजी प्रमुख सचिव,मा0 मुख्य मंत्री महोदय।
2–निजी सचिव,मा0 चिकित्सा मंत्री महोदय,
3–निजी सचिव,मा0 चिकित्सा राज्य मंत्री महोदय,चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
4–निजी सचिव,प्रमुख शासन सचिव,चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
5–प्रधान महालेखाकार(सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखा परीक्षा),राज0जयपुर।
6–संयुक्त शासन सचिव,चिकित्सा एवं स्वास्थ्य(ग्रुप–3)विभाग।
7–संयुक्त शासन सचिव,वित्त(व्यय–1/बजट/आयोजना) विभाग।
8–अतिरिक्त निदेशक(राजपत्रित/प्रशासन),चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,राज0जयपुर।
9–वित्तीय सलाहकार,चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,राज0जयपुर।
10–प्रभारी, सर्वर रूम, निदेशालय को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेब–साईट पर डालने की व्यवस्था करावें।
11–एकल पत्रावली डी–1217 दिनांकः 26.9.2013
12–कम्प्यूटर सैल/रक्षित पत्रावली।

लेखाधिकारी